

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या
15/93/18

प्रवेश तिथि
14-09-2018

निर्णय दिनांक
14-09-2018

- 1- दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड (DHFL) एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय -वार्डन हाऊस, द्वितीय तल, सर, रोड फार्ट मुम्बाई-4000001 तथा शाखा कार्यालय 302/5, तृतीय तल जयपुर टावर, एम.आई.रोड, जयपुर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव।

प्रार्थी

बनाम

1-श्री नेत राम वर्मा निवासी प्लॉट नम्बर 03 खसरा नम्बर 241 (नया) ग्राम दाउदपुर जिला अलवर राजस्थान 301001

श्री नेत राम वर्मा, 6 बैरवा बस्ती, डाबला मेव राजगढ अलवर-राज0 301408

श्री नेत राम वर्मा, मुण्डावर, अलवर-राजस्थान 301408

2-श्री डाल चन्द वर्मा निवासी प्लॉट 03 खसरा नम्बर 241 ग्राम दाउदपुर जिला अलवर राजस्थान-301001

श्री डाल चन्द वर्मा निवासी -6 बैरवा बस्ती, डाबला मेव राजगढ अलवर-राज0 301408

श्री डाल चन्द वर्मा बस्ती, डाबला मीणा राजगढ अलवर-राज0 301408

अप्रार्थी / ऋणी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर प्लॉट नम्बर 03, खसरा नम्बर 241 (नया) ग्राम दाउदपुर जिला अलवर में स्थित है जो श्री नेत राम पुत्र श्री गेन्दाराम के नाम से है। जिसका कुल क्षेत्रफल 243.36 वर्गगज है, जिसकी सीमायें : पूर्व -प्लॉट नम्बर 4, पश्चिम प्लॉट नम्बर 2, उत्तर -दीगर जमीन, दक्षिण -सडक को रहन रखा गया था। अप्रार्थीगण द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :-

1-रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्भलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2-आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार-अलवर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पंक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14-09-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले

न्यायालय में सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला न्यायालय अलवर
अलवर (राज०)